न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

चम्पा . बनाम बिहारी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	धारा मु.नं. - 14/2022	
20/6/23	पत्रावली पेश हुई। बमुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र O 7 R 11 CPC पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। जिसका निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रा०पत्र O 7 R 11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को निर्णयानुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 20/06/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
142 / 2022	2022 / 242	18.10.2022	20.06.2023

उनवान प्रकरण

1. पुष्पा देवी उम्र 55 साल पत्नी स्व0 नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––वादिया––

बनाम्

1. सिदामी देवी उम्र 77 साल पत्नी स्व0 मुरलीधर
2. मुकुंदयाल उम्र 60 साल
3. मक्खनलाल उम्र 55 साल
4. भोलूराम उम्र 50 साल पुत्रगण मुरलीधर
5. ताराचन्द उम्र 45 साल
6. बाबूलाल उम्र 42 साल
7. शंकरलाल उम्र 52 साल पुत्र स्व. मदनलाल जाति नाई निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर
9. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय अजीतगढ़

––प्रतिवादीगण––

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सपठित नियम 14 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादिया ने एक वादपत्र बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करते हुए इस आशय का अनुतोष चाहा कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 0.56 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर की वादिया खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। साथ ही साथ प्रतिवादी नम्बर 7 के पिता के नाम नियम की कार्रवाई व प्रतिवादी नम्बर 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

20/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उसकी माता द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र बमुकाबले वादिया इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव करार दिया जावे।

जिस पर वकील प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सपठित नियम 14 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया ने नितांत गलतरूप से विधि वर्जित उक्त वादपत्र पेश किया है, जो कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि के संबंध में साबिक खातेदार मदनलाल के पक्ष में हुए आवंटन/नियमन को इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित करने के लिए वादपत्र पेश किया है। जबकि कानूनन किसी भी आवंटन या नियमन को नियम 14 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करके व्यथित व्यक्ति निरस्त करवा सकता है। माननीय न्यायालय को आवंटन/नियमन आदेश को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वादिया द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिए समान तथ्यों व अभिवचनों पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना में अपील उनवानी चम्पा देवी बनाम बिदामी देवी वगै0 पेश करके चुनौती दी जा चुकी है। इसलिए एक ही आदेश के संबंध में दो अलग-अलग न्यायालयों में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में उक्त वादपत्र कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है। वादिया के द्वारा अपने ससुर लक्ष्मीनारायण की विरासत बतौर उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। जबकि उक्त लक्ष्मीनारायण के पुत्र व अन्य वारिसान के जिन्दा रहते वादिया उक्त लक्ष्मीनारायण की वारिस नहीं होने के कारण उसके बतौर विरासत/वारिसान खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने के कारण भी उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होकर कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है। वादिया द्वारा लक्ष्मीनारायण की जिस भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है, उस भूमि का लक्ष्मीनारायण के पक्ष में आवंटन होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जिसकी खातेदारी वर्तमान में लक्ष्मीनारायण के वारिसान के नाम दर्ज होने व उस पर वादिया व लक्ष्मीनारायण के वारिसान काबिज काश्त होने के कारण भी उक्त लक्ष्मीनारायण के वादग्रस्त भूमि में कभी भी कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं होने के कारण तत्प्रमाणिक असर स्वरूप वादिया को भी कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होकर कतई चलने योग्य नहीं होकर [illegible] जाने योग्य है। वादिया द्वारा बाद मियाद उक्त वादपत्र पेश [illegible] के कारण कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज [illegible] भूमि पर प्रतिवादीगण बतौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

20/06/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काबिज खातेदार काश्त काबिज चले आ रहे है, जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी भी प्रतिवादीगण द्वारा करवाई गई है, इसलिए उक्त पर वादिया का कोई कब्जा काश्त नहीं होने के कारण भी उक्त वादपत्र कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील वादी ने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कतई गलत, बेबुनियाद, निराधार होने से अस्वीकार है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त वर्णित विषयवस्तुं कतई गलत व बदनियति स्वरूप बादीया के बुजुर्गान के कदीमी कब्जे काश्त की भूमि पर अपना कब्जा गलत रूप से बदनियति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है बल्कि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं हैं, ना ही पूर्व गलत खातेदार मदनलाल नाई का कोई कब्जा उक्त भूमि पर कभी भी नही रहा है। पूर्व गलत खातेदार के पक्ष में गलत नियमन/आवंटन के विरूद्ध अपील नियमानुसार दायर हो चुकी है परन्तु वादीया द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्व भूमि की अपनी काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षार्थ दांवा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत वाद दायर किया गया हैं जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल व केवल राजस्व न्यायालय में ही समाहित है। उक्त दायर अपील नियमन/आवंटन के विरूद्ध है बल्कि लंबित प्रकरण बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही है। वकील प्रतिवादीगण ने उपर्युक्त वर्णित विषयवस्तु केवल मात्र अदालत हाजा को मुगालता देने के उद्देश्य से गलत दर्ज की गयी है। लक्ष्मीनारायण के अन्य वारिसों को यदि कोई वेदना होगी तो वे स्वयं उपस्थित होकर अपनी चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रतिवादीगण अन्य के सहारे अपना बचाव करने हेतु उन्हें न्यायालय कभी संरक्षण प्रदान कानूनन नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण अपने स्वयं के बल पर अपना बचाव करे दूसरों के बल पर नहीं। उक्त प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादीगण द्वारा कतई गलत व बदनियति स्वरूप बेईमानीपूर्ण आशय व दुर्भावना से प्रेरित होकर उक्त मद हाजा कतई गलत दर्ज की गयी हैं जिससे उक्त लंबित प्रकरण का कोई वास्ता या सरोकार नहीं हैं जो अस्वीकार है। धारा 88 आरटीएक्ट में कोई मियाद वाधित नहीं है। वादींया का वादपत्र पूर्ण रूप से विधि अनुसार है जिसे सुनवाई का श्रवणाधिकार व माननीय न्यायालय में समाहित हे। वादीया का वादपत्र कानूनन पूर्णरूपेण पोषणीय है। वादिया उक्त भूमि पर अपने बुजुर्गान का कदीम से कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई क[illegible] है। वादीया भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है। वादीया का वादपत्र विधि अनुसार [illegible] है। वकील वादिया ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

20/06/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. आरआरडी 2009 पेज 244 – रामलाल बनाम् दीपाराम
2. आरआरडी 2005 पेज 128 – सरजीत वगै0 बनाम् राजाराम वगै0
3. आरआरडी 1982 पेज 299 – चन्दुराम बनाम् चिरंजी
4. आरजेबी (24) 2017 पेज 230 – एलआरएस भगवानाराम चमार बनाम् गुरमज कौर

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी सपठित नियम 14 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 पर मनन किया । विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा इस न्यायालय को उक्त वादपत्र की सुनवाई की अधिकारिता नही है ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिया द्वारा यह वाद बाबत ईस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करते हुए वादिया द्वारा इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व राजस्व रिकोर्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के पिता के नाम हुई नियमन की कारवाई व प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी माता द्वारा करवाया गये विक्रयपत्र बमुकाबले वादिया इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव करार करने का अनुतोष चाहा गया है ।

वादिया के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों से दर्शित होता है कि वादिया द्वारा मुख्यरूप से प्रतिवादी संख्या 7 के पिता मदनलाल के नाम वादग्रस्त भूमि के संबंध हुए नियमन आदेश को आक्षेपित करते हुए उक्त नियमन को पूर्णरूपेण अवैध माना है । संबंधित नियमन बमुकाबले वादिया व पति एवं ससुर के इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) है । जिससे प्रतिवादी संख्या 7 को व उसके पिता को कोई हक हकूक प्राप्त नही हुए है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी माता द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र पूर्णरूपेण वोईड व अवैध होकर बमुकाबले वादिया निष्प्रभावी है ।

इस प्रकार वादपत्र के अभिवचनो व अनुतोष के अवलोकन यह स्पष्ट है कि वादिया द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 7 के पिता के हक में हुये नियमन आदेश मिसल नम्बर 6035 दिनांक 20.02.1969 के आधार पर दर्ज हुए राजस्व रिकोर्ड व खातेदारी को चुनौती देते हुए इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) की घोषणा के साथ उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है । जिसके संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का नियम 14 (4) उल्लेखनिय है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

20/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

14(4):- उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा नियमन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन -पत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर की शक्ति होगी यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमो के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी शर्त को भंग किया हो।

इस प्रकार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के विधिक प्रावधानो के आलोक में किसी भी आवंटन/नियमन को रद्द करने या निरस्त या शुन्य घोषित करने या इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) करार देने की अधिकारिता जिला कलेक्टर को प्राप्त है न कि इस राजस्व न्यायालय को।

इसके संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादिया के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत नियम 20(2) सपठित नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 मुकदमा नम्बर 85/2022 उनवानी चम्मा देवी बनाम शंकरलाल वगै0 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें वादिया द्वारा इस वादपत्र के समान अभिवचनों के आधार पर ही चुनौती देते हुए उक्त नियमन आदेश को व उसके अनुक्रम में किये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है।

वादिया द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किए गए नियमन आदेश को सक्षम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना में वैधानिक आधार पर चुनौती दी गई है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करके इस भूमि के राजस्व रिकोर्ड से उक्त इन्द्राजात को नहीं हटाया जाता तब तक वादिया को इस भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार नही है। सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये नियमन/आवंटन के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुये इन्द्राजात को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत ही चुनौती दी जाकर नियमन/आवंटन को निरस्त/रद्द करवाया जा सकता है।

इसके अलावा वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 व उसकी माता द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र को भी इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित करार करने का अनुतोष चाहा [illegible] जबकि उक्त विक्रय लेख की कोई विशिष्टियां वादिया द्वारा [illegible]। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

20/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इनइफेक्टिव एण्ड इनओपरेटिव (कलअदम व बेअसर) घोषित करने की अधिकारिता नही है । वादिया द्वारा वादपत्र में अपने ससुर लक्ष्मीनारायण के जमाने से उक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं के कब्जे में होने का अभिवचन किये गये है । जबकि वादिया द्वारा अपने ससुर का कोई शजरा पेश नही किया गया है तथा ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान पेश नही किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादिया अपने ससुर की संपदा को बतौर वारिस प्राप्त करने तथा इस वादग्रस्त भूमि की खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकार हो ।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी सपठित नियम 14 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

20/06/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/06/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested